भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 611
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 / 3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान यात्रा टिकट किराए में बढ़ोतरी

611. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को खाड़ी देशों से भारत के लिए विमान यात्रा सेवाओं के टिकट किराए में बढ़ोतरी और मनमाना शुल्क वसूले जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मुद्दे का समाधान करने का विचार है चूंकि यह कामकाजी वर्ग के यात्रियों के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच विमान यात्राओं में नियमित श्रेणी की सीटों के लिए मनमाने ढंग से परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए विभिन्न एयरलाइन कंपनियों के साथ बातचीत करेगी?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क)और(ख): विमान किराए बाजार चालित होते हैं और वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, एयरलाइनें प्रचालन लागत, सेवाओं की विशेषताओं, आम तौर पर प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

एयरलाइन किराया प्रणाली कई स्तरों (बकेट या आरक्षण बुकिंग डिज़ाइनर) पर होती है, जो विश्व स्तर पर अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप है। एयरलाइनों द्वारा बाजार, मांग, मौसम, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और अन्य बाजार शक्तियों को ध्यान में रखते हुए किराया तय किया जाता है। सीटों की मांग बढ़ने के साथ ही विमान किराया भी बढ़ जाता है, क्योंकि कम किराए वाली सीटें शीघ्र बिक जाती हैं और किराया अधिक हो जाता है। डीजीसीए की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) यह सुनिश्चित करती है कि एयरलाइनों द्वारा वसूला जा रहा किराया एयरलाइनों द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार हो।

(ग) और (घ): उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******